

मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2054
22 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन

2054. श्री नायब सिंह सैनी:

श्री मनोज तिवारी:

श्री जॉन बर्ला:

श्री संगम लाल गुप्ता:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बिल्डरों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) बिल्डरों द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिशानिर्देशों के उल्लंघन की किसी भी घटना का इस मंत्रालय की ओर ध्यानाकर्षित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।